न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

बइजलासः—प्रियंका तलानिया, आर.ए.एस.
प्रकरण सख्याः—05/2023

सोनू कुमार पुत्र बन्सीलाल जाति विश्नोई साकिन 4 एल.एस.एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—— प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व/भू.अ), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

——अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

::निर्णय:: **दिनांक—10.04.2023**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दादा रामनारायण पुत्र मंगलाराम के नाम से वाके चक 6 पीजीएम का मुरब्बा नं. —278/443 का किला नं.—18ता25 कुल 8 बीघा रकबा कमाण्ड खातेदारी है। उक्त रकबा की गिरदावरी सम्वत् 2045 से 2048 तक में नाम रामनारायण पुत्र मंगलाराम लिखा हुआ है तथा मूल आवंटन पत्रावली में रामनारायण पुत्र मंगलाराम लिखा हुआ है जो कि सही है तथा सम्वत् 2049 से लेके 2052 तक तथा वर्तमान जमाबंदी में रामनारायण पुत्र भगवाना राम गलती से लिखा गया है। प्रार्थी उक्त रकबा की जमाबंदी मे अपने दादा रामनारायण के पिता का नाम भगवाना राम की जगह सही नाम मंगला राम करवाने का निवेदन किया।

तहसीलदार, अनूपगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजि. किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट जमाबंदी चक 6 पीजीएम सम्वत् 2076 से 2079 खाता सं.—85 में पत्थर नं. —278/443 का किला नं.—18ता24 सालम व 25/1 का 0.228 हैक्टेयर कुल 1.999 हैक्टेयर कमाण्ड रकबा रामनारायण पुत्र भगवानाराम जाति विश्नोई साकिन अनूपगढ़ गैर—खातेदार के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। इससे पूर्व जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 में भी यही नाम दर्ज था। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेज पर्चाखातौनी की प्रमाणित प्रति के अनुसार पत्थर नं. —278/443 का किला 18ता24 सालम व 25 का 0.18 बिस्वा कुल 7 बीघा 18 बिस्वा कमाण्ड रकबा रामनारायण पुत्र मंगलाराम विश्नोई को विशेष आवंटन का नोट अंकित है। प्रमाणित प्रति संलग्न है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न आवंटन पत्र की प्रमाणित प्रति व आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति में उक्त रकबा का आवंटन के अनुसार रामनारायण पुत्र मंगलाराम विश्नोई का अंकन है। संलग्न गिरदावरी सम्वत् 2045 से 2047 के कालम सं.—01 में किला नं. —18 ता25 के अनुसार कालम सं.—5 में प्रार्थी के दादा का नाम रामनारायण पुत्र मंगलाराम विश्नोई विशेष आवंटन दर्ज था परन्तु आगामी रोटेशन सम्वत् 2048 से 2051 के अनुसार कालम सं.—5 मे रामनारायण पुत्र मंगलाराम के स्थान पर सहवन से रामनारायण पुत्र भगवानाराम लिखा

Priyanka

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.07.18 12:34:45 IST
Reason: SelfAttested

गया। इसके बाद से आज तक रामनारायण पुत्र मंगलाराम का अंकन चला आ रहा है। चूंकि वर्तमान से लगभग 6 रोटेशन पूर्व की त्रुटि सहवन से हुई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी के दादा का नाम रामनारायण पुत्र भगवानाराम के स्थान पर रामनारायण पुत्र मगंलाराम जाति विश्नोई की दुरूस्ती की जाने की अनुशंषा की गई है।

तदुपरांत बहस सुनी जाकर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायालय की राय में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अपने पक्ष में साबित/सिद्ध करने में सफल रहे कि प्रार्थी के दादा का नाम रामनारायण पुत्र भगवानाराम के स्थान पर रामनारायण पुत्र मंगलाराम है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थी के दादा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर चक–6 पीजीएम का मुरब्बा नं.–278/443 का किला नं.–18ता25 कुल 8 बीघा कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के दादा का नाम रामनारायण पुत्र भगवानाराम के स्थान पर रामनारायण पुत्र मंगलाराम एतद्द्वारा दुरूस्त किया जाता है। अप्रार्थी तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.), अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त दुरूस्ती का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक–10.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.07.18 12:54:45 IST
Reason: SelfAttested